

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1173/2024

अनवान : -

1. महावीर पुत्र दलुराम जाति जाट धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
2. नानक पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
3. करण पुत्र रामेश्वर पुत्र दलुराम जाति धानक पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
4. राकेश पुत्र बुधराम पुत्र दलुराम जाति धानक पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

— वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. केसराराम पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. पुष्पा पुत्री बुधराम पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. कृष्णादेवी पत्नी बुधराम पुत्र दुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. अजय पुत्र रामेश्वर पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. कोयल पत्नी रामेश्वर पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
7. कुन्ता उर्फ शारदा पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
8. राजेन्द पुत्र सन्तोदेवी पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
9. धर्मपाल पुत्र सन्तोदेवी पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
10. मैनपाल पुत्र मीरा पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
11. विनोद पुत्र मीराम पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
12. कमलेश पुत्री मीरा पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 17/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 235/230 की कुल 10.1190 हैक्ट भूमि में से 1265/10119 हिस्सा भूमि दलुराम पुत्र गणपतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दलुराम पुत्र गणपतराम के नाम दर्ज है। दलुराम पुत्र गणपतराम जो की वादीगण का पिता है का देहान्त हो चुका है तथा दलुराम की पत्नी चावली का भी देहान्त हो चुका है एवं दलुराम के पुत्र व पुत्री बुधराम, रामेश्वर, सन्तोदेवी व मीरा का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। दलुराम पुत्र गणपतराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 ता 12 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग दलुराम पुत्र गणपतराम के नाम दर्ज भूमि में वादी अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का, वादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का, वादी स0 3 व प्रतिवादी संख्या 5 दोनो बहिब 1/6 हिस्सा भूमि तथा वादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया


अधिवक्ता
नोहर


जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 13 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण दलुराम, चावली देवी, बुधराम पुत्र दलुराम, सन्तोदेवी पुत्री दलुराम, रामेश्वर पुत्र दलुराम, मीरा पुत्री दलुराम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दलुराम पुत्र गणपतराम के नाम दर्ज है। दलुराम पुत्र गणपतराम जो की वादीगण का पिता है का देहान्त हो चुका है तथा दलुराम की पत्नी चावली का भी देहान्त हो चुका है एवं दलुराम के पुत्र व पुत्री बुधराम, रामेश्वर, सन्तोदेवी व मीरा का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। दलुराम पुत्र गणपतराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 ता 12 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है बाद हक त्याग दलुराम पुत्र गणपतराम के नाम दर्ज भूमि में वादी अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का, वादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का, वादी स0 3 व प्रतिवादी संख्या 5 दोनो बहिब 1/6 हिस्सा भूमि तथा वादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 235/230 की कुल 10.1190 हैक्ट भूमि में से 1265/10119 हिस्सा भूमि दलुराम पुत्र गणपतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि उपरोक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दलुराम पुत्र गणपतराम के नाम दर्ज है। दलुराम पुत्र गणपतराम जो की वादीगण का पिता है का देहान्त हो चुका है तथा दलुराम की पत्नी चावली का भी देहान्त हो


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चुका है एवं दलुराम के पुत्र व पुत्री बुधराम, रामेश्वर, सन्तोदेवी व मीरा का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। दलुराम पुत्र गणपतराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 ता 12 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग दलुराम पुत्र गणपतराम के नाम दर्ज भूमि में वादी अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का, वादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का, वादी स0 3 व प्रतिवादी संख्या 5 दोनो बहिब 1/6 हिस्सा भूमि तथा वादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक दलुराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 235/230 की कुल 10.1190 हैक्ट भूमि में से 1265/10119 हिस्सा भूमि में दलुराम पुत्र गणपतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 को 1/6 हिस्सा भूमि का, वादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा भूमि का, वादी स0 3 व प्रतिवादी संख्या 5 दोनो को बहिब 1/6 हिस्सा भूमि तथा वादी संख्या 4 को 1/6 हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 1173/2024


अनवान : -

1. महावीर पुत्र दलुराम जाति जाट धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
2. नानक पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
3. करण पुत्र रामेश्वर पुत्र दलुराम जाति धानक पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
4. राकेश पुत्र बुधराम पुत्र दलुराम जाति धानक पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

— वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. केसराराम पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. पुष्पा पुत्री बुधराम पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. कृष्णादेवी पत्नी बुधराम पुत्र दुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. अजय पुत्र रामेश्वर पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. कोयल पत्नी रामेश्वर पुत्र दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
7. कुन्ता उर्फ शारदा पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
8. राजेन्द पुत्र सन्तोदेवी पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
9. धर्मपाल पुत्र सन्तोदेवी पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
10. मैनपाल पुत्र मीरा पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
11. विनोद पुत्र मीराम पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
12. कमलेश पुत्री मीरा पुत्री दलुराम जाति धानक साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल निवास ममेराखुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर


—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1173 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 235/230 की कुल 10.1190 हैक्ट भूमि में से 1265/10119 हिस्सा भूमि में दलुराम पुत्र गणपतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 को 1/6 हिस्सा भूमि का, वादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा भूमि का, वादी स0 3 व प्रतिवादी संख्या 5 दोनो को बहिब 1/6 हिस्सा भूमि तथा वादी संख्या 4 को 1/6 हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर